

**NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।**

जे0सी0ओ0 रैंक तक के भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के दो पुत्र/पुत्रियों तक रू0 25,000/- प्रति की एकमुश्त सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

**अर्हताएँ**

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये विवरण संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना है। निम्न अर्हताएँ/अभिलेख आवश्यक हैं :-

- (क) प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक तथा संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति।
- (ख) उपरोक्त परीक्षाओं में चयनित होने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।
- (ग) उपरोक्त से संबंधित विभागों/इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने संबंधी विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।
- (घ) अभ्यर्थी के बैंक की पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड दर्शाया गया हो।
- (च) पूर्व सैनिक के जीवित न होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- (छ) प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों/इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग पूर्ण करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में आना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

प्रारूप

**Uttar Pradesh Sainik Punarvas Nidhi, Governor's House,**  
**Lucknow**  
**(NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry)**

<b>Ser No</b>	<b>Name of Cadet/ Gentlemen Cadet</b>	<b>Course No &amp; Date of Joining</b>	<b>Parents Rank, Number, Name &amp; Unit</b>	<b>Relationship with ESM/Widow</b>	<b>Full Home Address</b>	<b>E-mail , Mobile Number</b>	<b>Bank Details (Bank Name, A/c No, IFSC code)</b>